



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082024-256399
CG-DL-E-16082024-256399

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 617]
No. 617]

नई दिल्ली मंगलवार, अगस्त 13, 2024/श्रावण 22, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 13 2024/SHRAVANA 22, 1946

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2024

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) (संशोधन) विनियम, 2024

सं. आई.बी.बी.आई./2024-25/जी.एन./आर.ई.जी.115.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, 217, 218, 219 और 220 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) (संशोधन) विनियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017 के विनियम 13 के उप-विनियम (2) में, “कारण बताओ सूचना जारी किए जाने की तारीख से पैंतीस दिन” शब्दों के स्थान पर “कारण बताओ सूचना का उत्तर प्राप्त करने की नियत तारीख से साठ दिन” शब्द रखे जाएंगे।

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./386/2024-25]

टिप्पणः भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 239, तारीख 12 जून, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.011 द्वारा तारीख 12 जून, 2017 को प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 305, तारीख 14 जून, 2022 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.087, तारीख 14 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) (संशोधन) विनियम, 2022 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2024

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) (Amendment) Regulations, 2024

No. IBBI/2024-25/GN/REG115.—In exercise of the powers conferred under sections 196, 217, 218, 219, 220 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) Regulations, 2017, namely: -

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) (Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) Regulations, 2017, in regulation 13, in sub-regulation (2), for the words “thirty-five days of the date of the issuance of the show-cause notice”, the words “sixty days from the due date for receipt of reply to the show-cause notice” shall be substituted.

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./386/2024-25]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) Regulations, 2017 were published *vide* Notification No. IBBI/2017-18/GN/REG011 on 12th June, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 239 dated 12th June, 2017 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) (Amendment) Regulations, 2022 published *vide* Notification No. IBBI/2022-23/GN/REG/087, dated the 14th June, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 305 on 14th June, 2022.